

कार्यालय महालेखाकार (ले.प.) बिहार, पटना

का.आ.स. प्रशा./दावा-1/आयकर/13/C-499

दिनांक 14/03/2022

कार्यालय आदेश


का.आ.स. प्रशा./दावा-1/आयकर/13/ C-283 , दिनांक 08 /11/2021 के माध्यम से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर बचत हेतु किए गए निवेश का दस्तावेज एवं आयकर आंकलन प्रपत्र PFMS पोर्टल पर 19/11/2021 तक अग्रसरित एवं उसकी हार्ड कॉपी दावा-1 में उपलब्ध कराना अपेक्षित था। आयकर आंकलन एवं निवेश का सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों ने आयकर आंकलन प्रपत्र एवं निवेश सम्बंधित दस्तावेज की HARD COPY दावा-1 अनुभाग में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः, वे सभी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने आयकर आंकलन प्रपत्र एवं उनके द्वारा किये गए निवेश की दस्तावेज अभी तक दावा-1 अनुभाग को प्रस्तुत नहीं किये हैं, वे दिनांक 31/03/2022 तक आयकर आंकलन प्रपत्र एवं निवेश का दस्तावेज प्रस्तुत कर दे। जिससे निवेश का सत्यापन ससमय पूर्ण किया जा सके। DDO स्तर पर निवेश का सत्यापन नहीं होने की स्थिति में PFMS पोर्टल स्वतः निवेश की राशि को System में गणना हेतु अमान्य कर देगा।

Sd/-

वरीय उप-महालेखाकार (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार (ले.प.) के सचिवालय
2. सचिवालय (व. उप-महालेखाकार एवं उप-महालेखाकार)
3. सभी ग्रुप अधिकारी
4. सभी AMG के प्रभारी अधिकारी
5. व्हाट्सएप्प ग्रुप
6. सूचना पट्ट
7. कार्यालय आदेश संचिका


14/03/22

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/दावा-1